अंग्रेजी भाषा के प्रति डॉ0 राममनोहर लोहिया के विचार

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डी0 एस0 एम0 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ (उ.प्र.)

डॉ0 लोहिया का विचार था कि अंग्रेजी को धीरे–धीरे हटाने की नीति जिसे भारत सरकार ने अपनायी है, अंग्रेजी को सदैव कायम रखने वाली नीति से अधिक भयंकर साबित हो रही है। अब हिन्दुस्तान के लोगों को एक भाषा–नीति लेकर आगे बढ़ना है। डॉ0 लोहिया का मानना था कि अंग्रेजी हिन्दुस्तान को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं पहुँचा रही है कि वह विदेशी है, बल्कि इसलिए कि भारतीय प्रसंग में वह स्थायी है। आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो अंग्रेजी में महारत हासिल किए हुए हैं, वह उसे सत्ता या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने विशाल जन–समुदाय पर अधिकार और शोषण करने का हथियार अंग्रेजी को बना रखा है। दुनिया के प्रत्येक देश में सभी सरकारी और सार्वजनिक काम उसी भाषा में होते हैं,जिसे बहुसंख्यक लोग समझते और जानते हैं। हमारे देश में ठीक इसका उल्टा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व संसदीय समिति ने उच्च अदालतों के फैसले हिन्दी में लिखे जाने की सिफारिश की तो भारतीय विधि आयोग ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ऐसा करने से देश की एकता और अखण्डता तो प्रभावित होगी ही, साथ ही देश में राजनैतिक व कानूनी बदअमनी का माहौल भी बनेगा। आयोग के अनुसार यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के हर नागरिक और हर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किए गये कानून को समझने का अधिकार है। इसके लिए एक ही भाषा होगी और वह है अंग्रेजी।[1]

उल्लेखनीय है कि डा0 लोहिया ने जब 'अंग्रेजी हटाओ आंदोलन' का सूत्रपात्र किया, तब उन्होंने हिन्दी का सवाल कभी नहीं उठाया, वरन् उसकी जगह उन्होंने हिन्दुस्तानी जबान की वकालत की। उस आंदोलन के दौरान हिन्दुस्तानी जबान का विरोध करने वालों को करारा जवाब देते हुए डा0 लोहिया ने कहा था कि 'हिन्दुस्तानी के दुश्मन वास्तव में बंगला, तमिल या मराठी के भी दुश्मन हैं। मैंने बिल्कुल साफतौर पर यह बतलाने की कोशिश की है कि अंग्रेजी हटाओ का मतलब हिन्दी लाओ नहीं होता, अंग्रेजी हटाने का मतलब होता है तमिल या बंगला और इसी तरह अपनी–अपनी भाषाओं की प्रतिष्ठा'।[2] डॉ0 लोहिया ने हिन्दी वालों को भी सचेत किया कि अभी हिन्दी की बात मत करो। भारतीय भाषाएh जैसे–जैसे कायम होंगी, हिन्दी स्वतः आ जाएगी। खास बात यह कि जब डा0 लोहिया हिन्दी की वकालत करते थे तो उनके जेहन में उस हिन्दी की कल्पना थी, जिसमें हिन्दी उर्दू का कोई विभाजन भाषायी स्तर पर नहीं है। हाँ, भारतीय भाषाओं के विकास के संदर्भ में डा0 लोहिया ने माना कि आज हिन्दी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सबको साथ लेकर चले।[3] ' हिन्दी वालों की अवसरवादी मानसिकता से चिढ़कर डा0 लोहिया ने कहा था, 'हिन्दी जाए जहन्नुम में।[4] इस वक्तव्य के बाद बावेला मचाने वालों से डा0 लोहिया ने पूछा था 'आप लोग सचमुच हिन्दी के लिए परेशान हैं? आप दूसरी

भारतीय भाषाओं को समझते हैं कि हिन्दी की दासियाँ हैं। यह सही नहीं है। उन सबका बराबर अधिकार है।[5]

डॉ0 लोहिया भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में अंग्रेजी हटाने की भाषा नीति बनाने के प्रबल पक्षधर रहे हैं। इस सम्बन्ध में डॉ0 लोहिया 'अंग्रेजी भाषा से राष्ट्र का महान नुकसान होने की बात कहते हैं क्योंकि ''स्कूल व कॉलेजों में यह एक जरूरी विषय है। हमारे 70–80 फीसदी बच्चे औसत बुद्धि के होते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हासिल करने के प्रयत्न में ही उनका इतना कचूमर निकल जाता है कि भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते।''[6] डॉ0 लोहिया अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'स्कूल–कॉलेजों की माध्यम विषयक नीति पर और अंग्रेजी को केवल ऐच्छिक विषय बनाने के लिए सफल आन्दोलन होने चाहिए। इनका विचार है कि आन्दोलन में अधिक तेजी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान में आयेगी। इन प्रदेशों में भाषा सम्बन्धी किसी भी प्रकार का द्वन्द्व नहीं है। यों सारे हिन्दुस्तान में, लेकिन खास तौर से इन चार प्रदेशों में अंग्रेजी हटाना हमारे जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। ऊँच व नीच जाति और पढ़े व बे पढ़े के बीच की खाई अंग्रेजी भाषा ने इतनी गहरी खाई बनाई है कि हिन्दुस्तान दुनिया का विषमतम देश बन गया है।[7] डॉ0 लोहिया भाषा सम्बन्धी समस्या का हल नवयुवकों से कराना चाहते हैं। इन्हें भाषा परिवर्तन की शक्ति मात्र नवयुवकों में ही दिखाई देती है। इनका कथन है कि ''मैं युवजनों से खास तौर से कहूँगा, फन्दे में मत फँसों मजबूती से अंग्रेजी को हटाने के अभियान को ले चलो और उस अभियान से जो ताकत आयेगी, उसमें देश को बदलने का रास्ता मिलेगा।''[8]

डॉ0 लोहिया ने दक्षिण भारत के हिन्दी विरोधी आन्दोलनों के दौर में अंग्रेजी भाषा के विरोध में तथा हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के पक्ष में आन्दोलन किया था। अंग्रेजी भाषा को हटाने के सम्बन्ध में वे तमिल आदि हिन्दी से इतर भाषाओं को व्यवहार में लाने की बात तो अवश्य करते हैं, लेकिन इनके भाषा सम्बन्धी सम्पूर्ण लेखन का सूक्ष्म अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वे सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में से हिन्दी भाषा को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल पक्षधर थे।[9] दक्षिण भारत में उनके अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन का आशय हिन्दी लाओ से लगाया जाता था, जिसके कारण उन्हें दक्षिण भारत में भाषा सम्बन्धी सभायें करने में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। डॉ0 राममनोहर लोहिया ने 19 सितम्बर सन् 1962 ई0 को हैदराबाद में कहा था कि 'अंग्रेजी हटाओ का मतलब हिन्दी लाओ नहीं होता है। अंग्रेजी हटाओ का मतलब होता है कि तमिल या बंगला और इसी तरह अपनी–अपनी भाषाओं की प्रतिष्ठा।' डॉ0 लोहिया को अंग्रेजी भाषा मात्र से विशेष आपत्ति नहीं थी। अंग्रेजी भाषा के विपुल साहित्य के भी वे प्रबल विरोधी नहीं थे, बल्कि विचार और शोध की भाषा के रूप में वे अंग्रेजी भाषा का सम्मान करते थे। डॉ0 लोहिया की अंग्रेजी भाषा से मूल आपत्ति उसके सार्वजनिक जीवन में प्रयोग से है।[10] भाषा का सवाल इनके लिए पेट का सवाल है। वे पेट और दिमाग के सवालों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। उनके अंग्रेजी विरोध का मूल कारण अंग्रेजी भाषा में निहित सामन्तवाद था, जिसे वे कदापि नहीं चाहते थे।

डॉ0 लोहिया इस बात को पहले ही जानते थे कि विधायिकाओं द्वारा सार्वजनिक इस्तेमाल से अंग्रेजी को हटाना मुमकिन नही है। डॉ0 लोहिया की मान्यता थी कि यह तो सिर्फ जनता की क्रियाशीलता के द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि धारणाएंh जड़ पकड़ चुकी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि केन्द्रीय काम–काज के लिए दो

विभाग बनाये जा सकते हैं, एक हिन्दी का दूसरा अंग्रेजी का। जिन प्रान्तों की इच्छा अंग्रेजी विभाग से सम्बद्ध होने की है, वे अंग्रेजी विभाग से सम्बद्ध हो सकते हैं और जिनकी हिन्दी विभाग से वे हिन्दी विभाग से सम्बद्ध हो सकते हैं। अंग्रेजी को खत्म करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर देना ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इसके तत्काल प्रयास की आवश्यकता थी। यदि सर्वप्रथम सन् 1965 ई0 का समय निर्धारित किया गया तो क्या उससे पहले हिन्दी सीखने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता ? उनका स्पष्ट विचार था कि राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों,मन्त्रियों और संसद सदस्यों सभी ने संविधान के प्रति ईमानदारी की शपथ ली है। इस शपथ का निर्वाह करने के लिए राष्ट्र उन्हें पैसा देता है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने की शपथ से वे बंधे हुए हैं। इनमें से हर एक 6 महीने या अधिक से अधिक एक वर्ष में हिन्दी सीख सकता है। परन्तु ऐसा न हो सका। आज भी मन्त्रीगण अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। राष्ट्र के नाम सन्देश अंग्रेजी में दिए जाते हैं।[11] जिस भाषा को सुदूर गांवों में रहने वाले कम पढ़े–लिखे लोग समझ ही नहीं सकते, उस भाषा में दिए गये सन्देश के क्या मायने हैं ? अंग्रेजी का बहुतायत प्रयोग आम भारतीय जनता में हीनता की भावना लाता है। चूंकि वह अंग्रेजी भली–भांति नहीं समझती, इसलिए वह स्वयं को सार्वजनिक काम के योग्य नहीं समझती। इसी हीनता में वह पीछे रह जाती है। डॉ0 लोहिया का मानना था कि जनसाधारण द्वारा इस तरह पीछे हट जाने से ही अल्पमत या सामन्ती राज्य की बुनियाद पड़ती है। सिर्फ बन्दूक के द्वारा ही नहीं बल्कि ज्यादा तो गिटपिट अंग्रेजी के द्वारा ही लोगों को दबाकर रखा जाता है। डॉ0 लोहिया का मानना था कि लोकभाषा के बिना लोकराज्य सम्भव नहीं है। जो भाषा अपने देश में लोक भाषा है वह पराये देश में शासन की भाषा बन कर सामंती हो जाती है ऐसी सामंती–भाषा का तिरस्कार किए बिना लोकनीति निखरती नही है।[12] अंग्रेजी हटनी ही चाहिए। यह तभी सम्भव है जब जनता कर्मठता से प्रयास करे। जनता को धोखा देने की उच्च वर्गों की ताकत और मनोवृत्ति बढ़ रही है। इसे जनता ही रोक सकती है। क्योंकि जब वैधानिक हल आसान नहीं होते तो जनता की कर्मठता और त्याग से ही मत–परिवर्तन हो सकता है। उनका स्पष्ट विचार था कि आज अंग्रेजी भाषा के फैलते एकाधिकार को तोड़ने की जरूरत है क्योंकि पूंजी,आतंक और तकनीक की तरह यह भाषा भी नेतृत्व और वर्चस्व का अधिकार बन गयी है।

डॉ0 लोहिया अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए वर्चस्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहे। डा0 लोहिया अंग्रेजी भाषा को देश की उन्नति, सुख एवं समृद्धि में बाधक मानते हैं। डॉ0 लोहिया का मानना है कि अंग्रेजी भाषा हमारे भारतीय समाज को विघटित कर रही है। अंग्रेजी भाषा को जानने वाला वर्ग अभिजात तथा अंग्रेजी न जानने वाला वर्ग साधारण जनता के रूप में परिभाषित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के जनतन्त्र का अस्तित्व ही संकट ग्रस्त होता जा रहा है। सामाजिक विघटन की जड़ में अंग्रेजी भाषा का ही व्यापक प्रभाव है। ''ऐसा इसलिए नहीं कि उससे हमारे सम्मान को या इज्जत को धक्का पहुँचता है। ....बल्कि उससे और बड़ा सबब दूसरा यह है कि यह भाषा पहले की और भाषाओं की तरह हमारे देश को बिल्कुल दो हिस्सों में बाँट रही है। एक अभिजात और दूसरा साधारण जनता। हिन्दुस्तान में अपनी भाषा के बिना जनतन्त्र असंभव है।''[13] डॉ0 लोहिया सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं को ही विकसित करने के पक्षधर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा को वे पठन–पाठन का माध्यम कदापि नहीं बनाना चाहते। उनका मानना है कि गणित विषय हमारे देश के कण–कण में समाया हुआ है, किन्तु इसका उच्च स्तरीय पठन–पाठन अंग्रेजी भाषा में होने के कारण उच्च स्तरीय गणितज्ञों की कमी है। वे उच्च स्तरीय गणितज्ञों की कमी का सर्वाधिक सशक्त कारण

अंग्रेजी को ही मानते हैं। इन्होंने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा कि '' अंग्रेजी के उपयोग का अपने देश में आज एक दुष्परिणाम और भी है कि गणित जो कि शायद आज की दुनिया का सबसे बड़ा विषय है। वह इतना कमजोर पड़ गया है कि ऊँची गणित की श्रेणियों से प्रति वर्ष बहुत कम ही विद्यार्थी निकल पाते हैं। ....गणित अपनी भाषा में चले, मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी में ही हो ,बंगला में हो, तमिल में हो, लेकिन गणितज्ञ और ऊँची शिक्षा पाने वालों की तादात 10, 20, 50 हजार होनी चाहिए।''[14]

डॉ0 लोहिया का विचार है कि यदि उत्तर प्रदेश और दूसरे आस–पास के प्रदेशों में हिन्दुस्तानी भाषा अपना ली जाय,तो अल्प समय में ही यहाँ की गरीबी कम हो जायेगी,समृद्धि बढ़ जायेगी। ज्ञान–विज्ञान इतना अधिक बढ़ेगा कि गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता अंग्रेजी को त्यागकर अपनी मातृभाषा को महत्त्व देने लगेगी।[15] वास्तव में मातृभाषा क्षेत्रीय जनमानस के मन–मस्तिष्क में रची बसी होती है, तथा देश, काल, वातारण के सापेक्ष होती है। इसमें सरलता का गुण होता है, समानता का बोध होता है। अंग्रेजी भाषा से सामन्तवाद को बढ़ावा मिलता है,जबकि मातृभाषा से आत्मिक सौहार्द पैदा होता है। अपनी संस्कृति बलवती होती है। संस्कार पुष्ट होते हैं। इस संदर्भ में डॉ0 लोहिया का कहना है कि 'मातृभाषा का प्रत्येक शब्द जुड़ा रहता है, देश की मिट्टी के साथ, देश के इतिहास के साथ, कथाओं और किंवदन्तियों के साथ।' इसीलिए वह मानव–मन–मस्तिष्क पर अपना व्यापक प्रभाव डालकर उसे आनन्द विभोर कर देता है।[16]

डॉ0 लोहिया भारत की सम्पूर्ण प्रान्तीय भाषाओं बंगला, मलयालम, तेलगू सहित हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी भाषा को महत्ता देने के पक्षधर हैं। इसी के साथ वे उर्दू को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं। इन्होंने स्वयं लिखा है कि ''उर्दू आखिर है क्या? जो अरबी लिपि है, अगर आप उसे छोड़ दें, तो हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा के दो नाम, दो रूप हैं।[17] डॉ0 लोहिया देशी भाषाओं के विकास में ही देश के विकास को देखते हैं। उनकी धारणा है कि ''जब देशी भाषायें विकसित होती हैं, तब वे आपस में एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करतीं, बल्कि सहयोग करती हैं। वे सौत नहीं होतीं, सखी होती हैं। भारतीय भाषाओं का जिन दिनों विकास हुआ था, उन्हीं दिनों भारतीय राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ था। देश की विकासशील भाषाओं को यदि दबा दिया जायेगा, तो अस्मिता बोध कमजोर पड़ जायेगा। जिनको हम बोली या उपभाषा कहते हैं, वे तो हजारों हैं। जब इलाके की कोई भाषा गतिशील होकर समृद्ध होने लगती है। तब स्वाभाविक ढंग से बोलियाँ स्वयं को उस विकास के स्रोत में विलीन कर देती हैं।''[18]

डॉ0 लोहिया की उम्मीदों के मुताबिक आशा है आम जन एवं जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाकर एक सुदृढ़ समाजवादी राज्य स्थापित करेगी। लोक भाषा एवं लोकभावना के लिए वे जिए। क्योंकि यह सच है कि हासिये पर सदियों से कर दिए गए आदिवासी, दलित, गरीबों की अस्मिता और हक की लड़ाई तो कुछ समूह उठा रहे हैं लेकिन अपनी भाषा के जिस बुनियादी हक और आजादी पर दुनिया के हर नागरिक का हक है वहाँ चुप्पी क्यों ? क्या अपनी भाषा के बिना किसी भी आजादी का कोई अर्थ सम्भव हो सकता है ? इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डॉ0 लोहिया की भाषायी नीति समाजवादी विचारधारा को संतुष्ट करने वाली थी। यदि पं0 नेहरु ने भाषा की राजनीति नहीं की होती, तो देश की स्थिति जैसी आज है, वैसी न होती और भाषायी समस्या जैसा प्रश्न सामने नहीं होता।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, 15.12. 2008

2. डा0 राममनोहर लोहिया (लोहिया की 'अंग्रेजी हटाओ' दृष्टि शीर्षक आलेख में अरविन्द त्रिपाठी द्वारा उद्धृत), नवभारत टाइम्स–22 मार्च, 1996

3. डा0 राममनोहर लोहिया (लोहिया की 'अंग्रेजी हटाओ' दृष्टि शीर्षक आलेख में अरविन्द त्रिपाठी द्वारा उद्धृत), नवभारत टाइम्स–22 मार्च, 1996

4. डा0 राममनोहर लोहिया (लोहिया की 'अंग्रेजी हटाओ' दृष्टि शीर्षक आलेख में अरविन्द त्रिपाठी द्वारा उद्धृत), नवभारत टाइम्स–22 मार्च, 1996

5. डा0 राममनोहर लोहिया (लोहिया की 'अंग्रेजी हटाओ' दृष्टि शीर्षक आलेख में अरविन्द त्रिपाठी द्वारा उद्धृत), नवभारत टाइम्स–22 मार्च,1996

6. जोगी डॉ0 सुनील, विश्व समाजवाद के पोषकः लोहिया, पृष्ठ–133

7. जोगी डॉ0 सुनील, विश्व समाजवाद के पोषकः लोहिया, पृष्ठ–133

8. लोहिया राममनोहर,समता और सम्पन्नता,, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007, पृ0–102

9. कुमार आनन्द, गाँधी,लोहिया,जयप्रकाश और हमारा,नई किताब,दिल्ली,सं02014,पृ076

10. वैदिक डॉ0 वेदप्रताप, हिन्दी कैसे बने विश्व भाषा–वाणी प्रकाशन ,21 ए,दरियागंज,नई दिल्ली,110002,सं02014,पृ0207–208

11. वैदिक डॉ0 वेदप्रताप, हिन्दी कैसे बने विश्व भाषा–वाणी प्रकाशन ,21 ए,दरियागंज,नई दिल्ली,110002,सं02014,पृ0207–208

12. लोहिया राममनोहर,भारतमाता–धरतीमाता,लोकभारती प्रकाशन महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,संस्करण,2010,पृ0170

13. लोहिया राममनोहर,समता और सम्पन्नता, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007 ,पृष्ठ–80।

14. लोहिया राममनोहर, समता और सम्पन्नता, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007, पृष्ठ–82

15. लोहिया राममनोहर,समता और सम्पन्नता, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007 ,पृष्ठ–90

16. लोहिया राममनोहर,समता और सम्पन्नता, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007, पृष्ठ–80

17. लोहिया राममनोहर,समता और सम्पन्नता, लोकभारती प्रकाशन,महात्मा गाँधी मार्ग,इलाहाबाद,2007 ,पृष्ठ–91

18. पटनायक किशन, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, पृ0–205, 206